प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी,इन्टेलिजेंस यूनिट अजमेर, थाना. सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2022..
प्र. ई. रि. स. ....38/22.......... दिनांक 9/2/22
(अ) अधिनियम. भ्र. नि. (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें. **7,7A भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018**

(ब) अधिनियम.. धारायें.......... ....
(स) अधिनियम ....धारायें.......................................
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....**सहपठित धारा 120 बी भा0द0स0** ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ......172........ समय...........5:50pm
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक :– मंगलवार 18.05.2021 समय 03:50 ए.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 18.05.2021 समय. 2:00 ए.एम

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा उत्तर करीब 60 किलोमीटर
(ब) पता – दरदुड चौराया परबतसर रोड रूपनगढ जिला अजमेर।
बीट सख्या ....जरायमदेही सं.............
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना...जिला...........................

6. परिवादिया / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्री दल्लाराम
(ब) पति का नाम.... श्री देवीलाल
(स) जन्म तिथि / वर्ष ..... 34 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता......... भारतीय ....
(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी............. जगह ....
(र) व्यवसाय.. वाहन चालक
(ल) पता... मण्डा भीम सिंह जिला जयपुर मोबाइल नम्बर 97994–48437

ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

7–1. श्री मोहन राम पुत्रश्री जेठाराम जाति जाट उम्र 48 साल निवासी ग्राम सुदरी पोस्ट बंवरला बाया रेण जिला नागौर हाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर मोबाइल नम्बर 94146–69557

2. श्री गिरधारी लाल पुत्रश्री पदमाराम जाति जाट निवासी ग्राम दरदुंड पुलिस थाना रूपनगढ जिला अजमेर हाल ढाबा संचालक दरदुंड चौराया रूपनगढ जिला अजमेर मोबाइल नम्बर 86193–01404

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.......

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा / यू.डी. केस सख्या
(अगर हो तो)... **2,00,000 रूपये रिश्वत राशि (दो लाख रूपये)**

10. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

प्रकरण हाजा के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 1.7.2021 समय 10.30 पी.एम. पर मुझ उप अधीक्षक पारसमल को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एसीबी अजमेर ने जरिये मोबाइल फोन पर वार्ता कर अवगत कराया कि परिवादी श्री महेश थाकण ने जरिये दूरभाष मोबाइल नम्बर 9694091136 से वार्ता कर अवगत कराया है कि मेरे परिचित श्री दल्लाराम पुत्र श्री देवी लाल निवासी मण्डाभीम सिह जिला जयपुर के ट्रेलर से बजरी परिवहन रवाना शुदा सप्लाई करने का कार्य है। जिनके साथ अन्य गाडी वाले उनके मित्र भी साथ रहते है। दिनांक 17.05.2021 को श्री दल्लाराम अपने ट्रेलर सख्या आर.जे.–14–जीके–1169 के ड्राईवर श्री श्रवण लाल व अपने साथी अन्य ड्राईवर गाडी मालिक वाहन सख्या आर.जे.–14–जीके –4911 के चालक श्री मोहन लाल के अपने अपने वाहनो से दिनांक 16.05.2021 को सतलाना जोधपुर जिले से बजरी भरकर अभी रूपनगढ पहुचे है। जहां पर पुलिस थाना रूपनगढ के श्री मोहन लाल एएसआई एवं एक अन्य व्यक्ति सादा वस्त्रों में समय करीब 8 पी.एम. पर दरदुण्ड

चौराहे रूपनगढ स्थित ढाबे पर मिले तो उन दोनो ने मेरे परिचित की दोनो गाडियो को रोक कर चेक किया तो दोनो वाहनों के रवाना एवं बजरी परिवहन करने से संबंधित दस्तावेज एवं वाहन के रजिस्ट्रेशन, परमिट की प्रतिया को चेक करने हेतु श्री मोहन लाल को दिखायी गयी तो उन्होने श्री दल्लाराम व उसके साथी की गाडियो में अवैध बजरी भरी होना बता कर दोनो वाहनो के खिलाफ कार्यवाही करने एवं गाडी को जब्त करने की धमकी दी। श्री दल्लाराम व अन्य वाहन मालिक श्री मोहन लाल द्वारा निवेदन करने पर गाडियो को जब्त नही करने एवं उनको छोडने की एवज में 2 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है तथा उनकी गाडियां पास ही परिचित होटल मालिक श्री गिरधारी लाल के ढाबे पर खडी करवा रखी है तथा 2 लाख रूपये की रिश्वत राशि लेने के लिए बार–बार मांग कर रहे है। उक्त समस्त वार्ता मेरे साथी दल्लाराम ने मेरे को दी, जिस पर मैने भी श्री मोहन लाल एएसआई एवं गिरधारी लाल ढाबा मालिक से बातचीत की, परन्तु वह रिश्वत लेने के लिए उतारू है। मेरे परिचित श्री दल्लाराम एवं मैं अपने जायज काम के बदले में रिश्वत राशि नही देना चाहते है, बल्कि आरोपी श्री मोहन लाल ए.एस.आई. पुलिस रूपनगढ जिला अजमेर को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहते है। उक्त सूचना पर श्रीमान द्वारा मन उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी व उनके साथी गणों से सम्पर्क कर कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमान द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर परिवादी श्री महेश थाकण के दिये गये मोबाइल नम्बर 96940–91136 पर मेरे मोबाइल नम्बर से वार्ता की गयी तथा अग्रीम कार्यवाही हेतु रूपनगढ ही उपस्थित मिलने के निर्देश प्रदान किये है। उक्त सूचना पर समय करीब 11:10 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल यूनिट, अजमेर पहुँच मालखाने से सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड निकलवा कर इश्यू करवाया जाकर कार्यालय के कानिस्टेबल श्री श्याम प्रकाश न. 316 व सरकारी वाहन चालक श्री मनीष कुमार के कार्यालय से रूपनगढ की ओर रवाना होकर दिनांक 18.05.2021 को प्राप्त सूचना के आधार पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाप्ता के रूपनगढ–परबतसर मुख्य हाईवे पर पहूँचा। जहॉ परिवादी श्री महेश कुमार थाकण के मोबाइल नम्बर पर वार्ता की गयी तो परिवादी ने अपने साथियो सहित परबतसर रोड गुजरात होटल रूपनगढ के आस पास खडे होने की सूचना दी। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ मय सरकारी वाहन के श्री महेश थाकण के बताये हुए स्थान परबतसर रोड गुजरात होटल रूपनगढ मुख्य सडक पर पहूँचे। जहां पर वार्ता करता व्यक्ति एवं उसके साथ तीन अन्य व्यक्ति उपस्थित मिले। जिन्हें मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमराहियान स्टाफ का परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछा तो उन मे से वार्ता करता व्यक्ति ने अपना परिचय महेश थाकण के रूप में देते हुए अवगत कराया कि मैने ही आपके पुलिस अधीक्षक महोदय से रिश्वत राशि लेन देन के बारे में बातचीत की है, साथ ही अवगत कराया की मेरे परिचित श्री दल्लाराम व श्री मोहन लाल से उनकी बजरी के भरे हुए वैध वाहन को छोडने एवं उनके खिलाफ कार्यवाही नही करने की एवज में पुलिस थाना रूपनगढ के सहायक उप निरीक्षक श्री मोहन लाल 2 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग रहे है एवं उन्होने धमकी देकर इनकी गाडिया भी श्री गिरधारी लाल की होटल पर खडी करवा रखी है तथा 2 लाख रूपये की रिश्वत राशि मांग रहे है। इस पर मुख्य सडक होने व सामने उनकी गाडिया खडी होने की वजह से दरियाफ्त नही की जा सकती अतः मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ व परिवादी को उनकी गाडी में बैठाकर परबतसर की ओर सुरक्षित स्थान की ओर रवाना हो समय 1:45 ए.एम. पर परबतसर रोड रूपनगढ मुख्य सडक के सुनसान स्थान पर पहुँचे जहां सुरक्षित व्यवस्था देखकर गाडियो को साईड में खडी करवा कर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछताछ की, तो परिवादी श्री महेश थाकण ने अपना परिचय देते हुए अपने पास उपस्थित श्री दल्लाराम पुत्रश्री देवीलाल, श्री हरदयाल व अखराम का परिचय देते हुए अवगत कराया की श्री दल्लाराम मेरे परिचित है तथा हमारे सबकी गाडिया जोधपुर से बजरी भरकर जयपुर व अलवर की तरफ सप्लाई करती है। हम सभी गाडी मालिक आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बजरी भरने के धन्धे की वजह से आपस में एक दूसरे से अच्छी जान पहचान रखते है। हमारी गाडिया जोधपुर से बजरी भरकर अन्य शहर अलवर ले जाते रहते है तथा हम वैध बजरी का ही परिवहन करते है। आज मेरा परिचत श्री दल्लाराम व उसके साथी मोहन लाल अपने अपने वाहनों में जोधपुर से बजरी भरकर समय करीब 8:00 पी. एम. पर रूपनगढ पहूँचे। जहां पर पुलिस थाना रूपनगढ के श्री मोहन लाल चौधरी सहायक उप निरीक्षक व एक अन्य व्यक्ति सादा वस्त्रों में आकर उनकी गाडियो को रूपनगढ स्थित